

तरीखहुकम


12.06.25

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण के नामसे अलग-अलग समय पर तीन बार आज्ञा दिलाई गई। कोई उपास्थित नहीं।

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण अपने प्रार्थना-पत्र को लेकर गंभीर नहीं हैं।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अदम पैखी व 'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर रखरिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दारखिल स्तर हो व नंबर से कम हो।

  
उप खण्ड अधिकार  
बाडमेर